निगरानी याचिका क्र०-

प्रस्तुत दिनांक :- 4/9/10

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग, होशंगाबाद.

PB/4/ मि/ हस्तान्तर/ ...../1685

महान दास अध्यक्ष कबीर पंथी पारख
महामंडल संत समाज नागझिरी बुरहानपुर,
तहसील बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर {म०प्र०}
मार्फत मुखत्यार आम लोटनदास गुरू
स्वर्गीय रामस्वरूप साहब निवासी-श्री
कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर, हाल मुकाम-
ग्राम गुरंजघाट तहसील सिवनी मालवा जिला-
होशंगाबाद {म०प्र०}. ----------------निगरानीकर्ता

प्रस्तुतकर्ता
श्री डी. एस० ... अधिवक्ता के द्वारा
आज स्वतः प्रस्तुत।
04/09/2010

विरूद्ध

गुणीदास वल्द रामबक्स कतिया
निवासी- ग्राम गुरंजघाट, तहसील-
सिवनी मालवा, जिला-होशंगाबाद {म०प्र०}.
----------------उत्तरवादी.

विषय:- धारा 116 म०प्र०भू०रा०सं० 1959
का आवेदन ।

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959. ।

निगरानीकर्ता यह निगरानी माननीय नायब तहसीलदार महोदया {श्रीमति नीतू सिंह गुप्ता} सिवनी मालवा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 130/बी-121 वर्ष 08-09 ग्राम गुंरजघाट में पारित आदेशिका दिनांक 16/8/2010 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/17/1685

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.1.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0अवस्थी तथा अनावेदक की ओर से श्री के0सी0अग्रवाल व श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में उभयपक्षों के तर्क सुने गये तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष नायब तहसीलदार सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद के आदेश दिनांक 16–8–2010 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 4–9–2010 को प्रस्तुत हुई थी । तत्समय म0प्र0भू–राजस्व संहिता में उन्हें निगरानी सुनने का अधिकार था, क्योंकि संहिता में दिनांक 31–12–2011 को संशोधन हुआ है उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है । अतः इस स्थिति में आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि उन्हें निगरानी सुनने का अधिकार नहीं है । अतः इस संबंध में आयुक्त को अभिलेख वापिस भेजा जावे कि वे गुणदोषों पर निगरानी का निराकरण करें । उभयपक्ष दिनांक 12–4–2018 को आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के समक्ष उपस्थित हों । आयुक्त को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	